न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्या:–514/2015 (2015/00222)223/नसीराबाद

1. श्रीकिशन पुत्र हरजी जाति जाट निवासी ग्राम नान्दला तहसील नसीराबाद जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2015, वाद संख्या 134/2011 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद।

उपस्थित:–

12. श्री हीरालाल माली एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
13. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोडेन्ट संख्या 01की ओर से।

निर्णय

दिनांक:– 31.10.2018

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद के वाद संख्या 134/2011 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्किंग खसरा नम्बर 3528 मीन रकबा 08–17–00, 3829 रकबा 01–15–00 जो की वादी के नाम दर्ज थी जिसके हाल खसरा नम्बर 3891 रकबा 1.61 व 3890 रकबा 0.28 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी गई। उक्त दुरूस्ती हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया गया। वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट की सुनवाई हेतु विचाराधीन थी तथा दिनांक 07.07.2015 को बिना अपीलार्थी की सुनवाई किये एवं जानकारी के दिनांक 07.07.2015 को वाद को निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 07.07.2015 को वाद निरस्त कर दिया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2015 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्टस की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजीयात में आधार जमाबंदी सम्वत 2066–2069 में वादी का नाम हटाकर काबिल काश्त भूमि अंकित कर दिया जबकि वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041–2044 में वादी के नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज है तथा आधार जमाबंदी में भी वादी के नाम उक्त राजस्व रेकार्ड में अंकित होनी चाहिए थी किन्तु राजस्व अधिकारियों एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा बिना रिकार्ड व मौके की जॉच किए ही बिना ही उक्त भूमि को काबिल काश्त भूमि दर्ज कर दी गई। राजस्व अधिकारियों एवं बंदोबस्त विभाग को कोई कानूनी अधिकार नही था । उक्त त्रुटि को दुरूस्त कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार वाद पत्र का विधि अनुसार जरिये सम्मन जारी करने, जवाब दावा उपरान्त वाद पत्र में विवादित बिन्दु कायम किये जाकर तत्पश्चात पक्षकारान की साक्ष्य सबूत लेकर ही वाद पत्र का निर्णय किया जा सकता था जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलार्थी के द्वारा कोई साक्ष्य सबूत एवं मौखिक साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं की गई तथा ना ही विवादित भूमि के संदर्भ में जमाबंदी, राजस्व नक्शा,

गिरदावरियॉ, वर्किंग जमाबंदी प्रदर्शित की गई। ऐसी अवस्था में दस्तावेज जो कि वाद–पत्र से सम्बन्धित है कि के बिना प्रदर्शित पढ़ा ही नहीं जा सकता तथा वादीगण/अपीलार्थी को बिना किसी जानकारी के वादीगण का वाद निरस्त किया जाना तथा कानूनी बिन्दुओं को नजरअंदाज कर न्यायिक शक्तियों का दुरूपयोग कर अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं, जो निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2015 को बिना किसी सूचना के बिना वादी/अपीलार्थी की जानकारी के एवं बिना नोटिस तामिल करवायें ही निर्णय पारित किया गये हैं जिसकी जानकारी दिनांक 30.11.2015 को प्राप्त हुई तथा अपीलार्थी कृषक एवं ग्रामिण व्यक्ति हैं। जानकारी से अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलार्थी की अपील अन्दर मियाद अवधि में मानते हुए सुनवाई किया जाना न्यायाचित हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में सरकारी भूमि दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/वादी को वास्ते साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित किया हैं अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावें।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। बाद मनन वादग्रस्त आराजीयात आधार जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 में वादी श्रीकिशन पुत्र हरजी जाति जाट निवासी ग्राम नान्दला तहसील नसीराबाद के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित थी। बंदोबस्त विभाग द्वारा वर्किंग जमाबंदी में खसरा नम्बर 3528 व 3529 मिन के नवीन खसरा नम्बर 3890, 3891 बनाते समय राजस्व रिकार्ड की स्थिति को परिवर्तित कर दिया। उक्त इन्द्राज दुरूस्ती हेतु अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद कैम्प कोर्ट नान्दला में नियत कर बिना अपीलांट/वादी को सूचित किये एवं बिना नोटिस जारी किये तथा प्रकरण में आदेश 18 एवं 20 जा.दी. के प्रावधानों की पालना होने से पूर्व ही पत्रावली कैम्प कोर्ट नालन्दा में वाद पत्र को निरस्त किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2015 निरस्त योग्य हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वे अपीलांट/वादी को अपने पक्ष में रेकार्ड एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए बाद साक्ष्य व सुनवाई कर तनकीयात कायम कर पुनः निर्णय पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती हैं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2015 को निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादी को अपने पक्ष में रिकार्ड एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए बाद साक्ष्य, सुनवाई कर बाद तनकीयात कायमय कर पुनः निर्णिय पारित करें। अपील फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 31.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर